प्रकीर्ण वाद संख्या १२/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. १६९/२०१७)
श्रीमती शिव कुमारी बनाम मैसर्स नारंग डिसलरी लि. आदि
०७.१०.२०२०

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया श्रीमती शिव कुमारी द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है, कि उपरोक्त याचिका में एम.ए.सी.टी./अपर जिला जज, न्यायालय सं. ८, झाँसी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनामा के अनुसार दिनाँक १४.१२.२०१९ को पारित निर्णय/आदेश के अनुसार मुब २०,०००/- रु. का एवार्ड पारित किया गया था, जिसके अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी ने क्षतिपूर्ति की धनराशि न्यायालय में जमा कर दी है। उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। अतः प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि प्रकरण में जमाशुदा धनराशि उनके पक्ष में रिलीज किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२ व अपने बैंक खाते की छाया प्रति व आधार कार्ड की छाया प्रतिदाखिल की गयी हैं।

प्रार्थिया न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. १६९/२०१७ श्रीमती शिव कुमारी बनाम मैसर्स नारंग डिसलरी लि. आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि उक्त प्रकरण में न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है। मूल पत्रावली एम.ए.सी.पी. सं. १६९/२०१७ में पारित निर्णय/आदेश दिनाँकित १४.१२.२०१९ के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्ष के मध्य हुए सुलहनामा के आधार २०,०००/- रु. का एवार्ड पारित किया गया है। उक्त एवार्ड की धनराशि प्रार्थिया को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से नकद प्रदान की जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में चेक पंजिका के क्रमांक ३३ पर मुब. २०,०००/- न्यायाधिकरण के पी.एन.बी. शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाते में जमा होने का इन्द्राज है। चूँकि प्रार्थिया ने अपने बैंक खाते की छाया प्रति प्रस्तुत की है अतः मेरे विचार से प्रार्थिया न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत प्रकरण में जमाशुदा धनराशि जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में प्राप्त करने के अधिकारिणी है।

आदेश

पंजाब नेशनल बैक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १६९/२०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. १२/२०२० श्रीमती शिव कुमारी बनाम मैसर्स नारंग डिसलरी लि. आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant / petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Shiv kumari	20000	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	94330100049591	SarvaU.P. Gramin Bank, Pandwaha, Jhansi	PUNBOSUPGB5
Total	20000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।